

न्यायालय:-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी तहसील बैहर,
जिला बालाघाट म.प्र.

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-37/2018
संस्थित दिनांक-02.02.2018

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,
जिला बालाघाट म.प्र.0।

.....अभियोजन

विरुद्ध

सुनील कुमार पंचेश्वर पिता रोशनलाल पंचेश्वर, उम्र-24 वर्ष,
जाति मरार, निवासी-वार्ड नं-10 बैहर, थाना बैहर,
जिला बालाघाट म.प्र.

.....अभियुक्त

—:: निर्णय ::—

—:दिनांक-14/02/2018 को घोषित:-

1— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-25.12.2017 को समय 16:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत भैंसवाही चौक, बालाघाट रोड़ में लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक-सी.जी.07/एम.ए.-6113 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर, आहत अमरतलाल पंचतिलक को टक्कर मारकर साधारण उपहति कारित कर, आहत भीमसेन को टक्कर मारकर उसके दाहिने पैर में अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की।

2— प्रकरण में अभियुक्त राजीनामा के आधार पर दिनांक-08.02.2018 के आदेश के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-337, 338 के आरोप से दोषमुक्त हुआ है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 राजीनामा योग्य नहीं होने से अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 का विचारण पूर्वतः जारी रखा गया था।

3— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-25.12.2017 को शिवलाल परते पुलिस थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को उन्हें अस्पताल से थाना बैहर की तहरीर जांच के लिए प्राप्त होने पर उन्होंने घटना के आहत भीमसिंह पंचतिलक एवं अमरतलाल पंचतिलक के कथन लेखबद्ध किये थे, भीमसेन पंचतिलक ने उसके कथन में बताया था कि वह दिनांक-25.12.2017 को अमरतलाल पंचतिलक के साथ

उसकी मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.पी.50/एम.ई-2508 में बैठकर भैंसवाही से बैहर आ रहा था। मोटरसाईकिल वह स्वयं चला रहा था। दिन के करीब 04:00 बजे भैंसवाही चौक बालाघाट रोड़ पर पहुंचे थे तभी पीछे से एक टवेरा गाड़ी के चालक ने तेज रफ्तार लापरवाहीपूर्वक उसके वाहन को चलाकर फरियादी एवं आहत की मोटरसाईकिल को पीछे से टक्कर मार दी थी। जिससे वह एवं अमरतलाल पंचतिलक मोटरसाईकिल सहित रोड़ पर गिर गये थे। भीमसेन पंचतिलक को दाहिने पैर की ऐडी वाले जोड़ पर अन्दरूनी चोट आयी थी एवं मुंह, होंठ के उपर चोट लगकर खून निकला था एवं आहत अमरतलाल पंचतिलक को बायें भुजा पर खरोंच आयी थी। रिपोर्ट पर से पुलिस थाना बैहर ने अपराध क्रमांक-225/2017 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

4- अभियुक्त को निर्णय के पैरा-1 में उल्लेखित धाराओं का अपराध विवरण बनाकर अपराध विवरण की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई व समझाई गई थी तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक-25.12.2017 को समय 16:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत भैंसवाही चौक, बालाघाट रोड़ में लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक-सी.जी.07/एम.ए.-6113 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया था?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

6- भीमसेन पंचतिलक अ.सा.01 एवं अमृतलाल पंचतिलक अ.सा.02 का कथन है कि वह दोनों दिनांक 25.12.2017 को मोटरसाईकिल क्र. एम. पी-50/एम.ई-2508 से भैंसवाही से वापस आ रहे थे। तभी पीछे से एक वाहन आ रहा था। वाहन को निकलने के लिए भीमसेन पंचतिलक ने साईड दे दी थी। कच्चा रास्ता होने के कारण गाड़ी अनबलेंस होने के कारण गिर गई थी। साक्षीगण ने गाड़ी का नंबर एवं गाड़ी कैसी चल रही थी एवं गाड़ी कौन चला रहा था, यह नहीं देखा था। घटना के बाद दोनों साक्षीगण को एम्बुलेंस वाहन से बैहर अस्पताल में भर्ती किया गया था एवं पुलिस ने साक्षीगण के कथन लिये थे। अमृतलाल पंचतिलक अ.सा.2 ने नक्शामौका पर ए से ए भाग

पर हस्ताक्षर किये थे। भीमसेन पंचतिलक अ.सा.01 एवं अमृतलाल पंचतिलक अ.सा.02 को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भीमसेन पंचतिलक अ.सा.1 ने प्रदर्श पी-1 के पुलिस कथन एवं अमृतलाल पंचतिलक अ.सा.2 ने प्रदर्श पी-3 के पुलिस कथन का क्रमशः ए से ए भाग पुलिस को लिखाने, बताने से इंकार किया है।

7— भीमसेन पंचतिलक अ.सा.01 एवं अमृतलाल पंचतिलक अ.सा.02 ने उनकी साक्ष्य में स्वीकार किया है कि उनका अभियुक्त से राजीनामा हो गया है। राजीनामाना होने के कारण दोनों साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन पक्ष ने प्रकरण में राजीनामा होने के कारण अन्य किसी साक्षीगण की साक्ष्य नहीं कराई है। अभियोजन पक्ष भीमसेन पंचतिलक अ.सा.01 एवं अमृतलाल पंचतिलक अ.सा.02 की साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन क्रमांक-सी.जी.07/एम.ए.-6113 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया था। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

8— प्रकरण में अभियुक्त का धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

9— अभियुक्त के जमानत, मुचलके भारमुक्त किये जावे।

10— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन आवेदक की सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् आवेदक के पक्ष में समाप्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व

दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही/—

सही/—

(दिलीप सिंह)

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

तहसील बैहर जिला-बालाघाट

तहसील बैहर जिला-बालाघाट